



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124636

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19112 / 2026

वीरेंद्र सोनकर उर्फ छोटू

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

फरीद अहमद

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री फरीद अहमद और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुष्कर श्रीवास्तव को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 50/2026, धारा 123, 105 भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना कोटवाली कटरा, जिला मिर्जापुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सात दिन की देरी से दर्ज की गई है और मृतक की मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका है और शव को संरक्षित कर लिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को केवल सूचनादाता द्वारा दी गई कुछ गोपनीय सूचना के आधार पर झूठा फंसाया गया है और उसे गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के समक्ष उसके इकबालिया बयान के अलावा उसके खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है। यह भी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलार्थी 28.2.2026 से जेल में बंद है। यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि जांच के दौरान एक सूचनादाता द्वारा दी गई जानकारी में अपीलार्थी का नाम सामने आया है।

5. अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सात दिन की देरी के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम शिकायतकर्ता का बहनोई 20.2.2026 को ई-रिक्शा से घर से बाहर गया था। उसकी बहन उससे संपर्क नहीं कर पाई और उसका मोबाइल फोन खुले में पड़ा मिला। बाद में वह बेहोश पाया गया और उसे बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चला और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विसरा रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका है और विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है। अपीलार्थी को केवल शिकायतकर्ता द्वारा दी गई कुछ गोपनीय जानकारी के आधार पर फंसाया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के समक्ष दिए गए उसके इकबालिया बयान के अलावा उसके खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है, और

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी - **वीरेंद्र सोनकर उर्फ छोटू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत बंध पत्र और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बांड स्वीकार करने से पहले अपीलार्थी और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अपीलार्थी और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति, संदर्भ: स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

2 जून, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।